Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 30, 2017 (ASADHA 8, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक जून 30,2017

संख्या 41-एसटी/2 -- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, माल के प्रदाय पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है जो यथास्थिति टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, उक्त सारणी के खाना (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर से छूट देते हैं ।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल की पूर्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	कोई अध्याय	सीएसडी द्वारा यूनिट रन कैंटीन को माल की पूर्ति ।
2.	कोई अध्याय	सीएसडी द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति ।
3.	कोई अध्याय	यूनिट रन कैंटीन द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति ।

स्पष्टीकरण–

(1) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय;

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची, जिसके अंतर्गत प्रथम अनुसूची की धारा और अध्याय टिप्पण तथा साधारण व्याख्यात्मक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से लागू होगी ।

संजीव कौशल

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 30th June, 2017

No:41/ST-2 – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts, supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the Tariff item, Sub-heading, Heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), from the whole of the State tax leviable thereon under section 9 of the said Act, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of supply of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	Any chapter	The supply of goods by the CSD to the Unit Run Canteens
2.	Any chapter	The supply of goods by the CSD to the authorized customers
3.	Any chapter	The supply of goods by the Unit Run Canteens to the authorized customers

Explanation. –

(1) In this notification, "Tariff item", "Sub-heading" "Heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

55451—C.S.—H.G.P., Chd.